क्रम-संख्या--121

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982

फाल्गुन 7, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 759/सत्रह-वि0-1--111-1981

लखनऊ, 26 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 26 फरवरी, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 8 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 20 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 20 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के—

(एक) खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी;

(दो) खण्ड (च) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी; और

(तीन) खण्ड (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।"

वर्तमान सदस्यों पर यथासंशोधित धारा 20 की उपधारा (2) का लागू होना

3—जहां कार्य परिषद् के किसी सदस्य को, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किया गया हो और—

(क) ऐसे सदस्य ने अपने नाम-निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो, वहां वह ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर उक्त परिषद् का सदस्य न रह जायगा;

(ख) ऐसे सदस्य ने अपने नाम-निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी न की हो, वहां वह उक्त दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उक्त परिषद् का सदस्य न रह जायगा।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या उक्त अध्यादेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में, कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 759(2)/XVII—V-1—111-1981
Dated Lucknow, February 26, 1982

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 1982:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1982

(U. P. ACT No. 10 OF 1982)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh, State Universities (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 8, 1981.

Amendment of section 20 of President's Act No. 10 of 1973 as amended by U. P. Act no. 29 of 1974.

2. In section 20 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) The term of office of members mentioned in—

(i) clauses (*c*), (*d*) and (*e*) of sub-section (1) shall be one year;

(ii) clause (*f*) of sub-section (1) shall be three years; and

(iii) clause (*g*) of sub-section (1) shall be two years."

Application of sub-section (2) of section 20 as amended two existing members.

3. Where a member of the Executive Council was nominated under clause (*g*) of sub-section (1) of section 20 of the principal Act, at any time before the commencement of this Act, and—

(*a*) such member has completed the period of two years from the date of his nomination, then, he shall cease to be a member of the said Council on the date of such commencement ;

(*b*) such member has not completed the period of two years from the date of his nomination, then, he shall cease to be a member of the said Council on the expiry of the said period of two years.

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 1981, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or in pursuance of any of the provisions of the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 361 सा० (विधा०)—27-2-82—(3987)—1982—700 (मैक०)।